तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018" पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अन्तर्गत शिविर [illegible] पेश हुई। [illegible] [illegible]
	उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर धाम्बपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, R.A.S.

प्रकरण संख्या 2[illegible]/ 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

[illegible] पन्ना [illegible]

निवासी नोगांवा

– प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

[illegible]

निवासी नोगांवा

– विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री [illegible]

[illegible]

निर्णय दिनांक 6/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम नोगांवा तहसील शाहपुरा/ .... जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर नोगांवा

377/[illegible] रकबा 0.76 [illegible]

.... कुल किता 1 .... रकबा 0.76 हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमांचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम नोगांवा संवत 2071 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नोगांवा मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 1 रकबा 0.76 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ .... को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिशनर फीस 200/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ .... मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा))

के. आर. यादव

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा/ .... पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner